न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 136/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
श्रीमती नखतूदेवी पत्नी मोहनराम सुथार निवासी– हडडा तहसील व जिला जैलसमेर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर 2. के. जार्ज पुत्र एम.पी.कोशापन जाति हिन्दू, निवासी– 11–सी, रामनगर बाईपास रोड, रामनाथ पुरम, कोयम्बटूर, केरल। 3. सरपंच ग्राम पंचायत, कानोद, जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2008 जो उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2008 अनवान तहसीलदार, जैसलमेर बनाम के0जार्ज पुत्र एम.पी.कोछापन वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री सुखदेव पटेल, अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 20 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर जिला जैसलमेर के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई। जिसमें ग्राम होडडा के नामा0 संख्या 322 दिनांक 20.04.2007 जो अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया था, को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 322 पर पारित आदेश दिनांक 20.04.2007 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील 21.10.2022 को पेश की गई।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को न तो पक्षकार

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बनाया गया और न ही कोई नोटिस तामील करवाया गया जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के ख0सं0 504 रकबा 58.17 बीघा में से 1/2 सहखातेदार बागाराम पुत्र धनाराम से जरिये बेचाननामा दिनांक 30.03.2007 को 09.00 बीघा भूमि खरीद की थी जिसके आधार पर ही अपीलाधीन नामा0 संख्या 322 अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में भरा जाकर ग्राम पंचायत सरपंच काणोद द्वारा स्वीकृत किया गया था। दिनांक 1.10.2022 को पटवारी हल्का मौके पर आये तथा दिनांक 14.6.2022 के सीबीआई कोर्ट बाबत स्थगन लेकर तरमीम करने हेतु आये जब अपीलार्थीया द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित हो जाने बाबत दिनांक 7.10.2022 को दस्तावेज प्राप्त होने पर जानकारी हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में सद्भाविक देरी हुई है, स्वेच्छा से नहीं की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश हुई जो तहसीलदार बनाम के0 जॉर्ज के अनवान अनुसार पेश हुई जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह भी 1/2 हिस्से यानि 09 बीघा को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 30.3.2007 को खरीद अनुसार नामा0 में सहखातेदार दर्ज थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अपीलाधीन नामा0 में दर्ज सभी काश्तकारों को अपना पक्ष रखने का व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था जो प्राकृतिक व नैसर्गिक सिद्धान्तों अनुसार आवश्यक था, लेकिन तहसीलदार ने किसी प्रकार की जॉच नहीं की और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की जॉच किये बगैर पारित आदेश विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता है। ऐसे में उक्त अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 को प्राफार्मा पार्टी के रूप में स्थापित किया गया है क्योंकि अपीलान्ट की भूमि में रेस्पो0 संख्या 2 सहखातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु रेस्पो0 संख्या 2 से किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम 1961 के जिन प्रावधानों का अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है वे इस मामले में लागू ही नहीं होते है, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया जो अपील पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है और अपील आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नहीं थी। इस

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार से भी अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से भी निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2008 को निरस्त करते हुए नामा0 संख्या 322 दिनांक 20.04.2007 को बहाल किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से अपीलाधीन स्वीकृत नामा0 संख्या 322 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कानोद के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 व 137 के प्रावधानों के विपरित जाकर नामा0 को रेस्पो0 संख्या 2 के हक में स्वीकार किया गया है जिसमें खरीददार का क्रय की गई भूमि पर विधिपूर्वक कब्जा हस्तान्तरण होकर प्राप्त करना आवश्यक था। वादग्रस्त भूमि के ग्राम हुडडा तहसील जैसलमेर का क्षेत्र है जो कि दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम 1961 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29 दिनांक 12.03.1996 के अनुसार नोटिफाईड क्षेत्र घोषित किया गया है और बिना सक्षम अनुमति के बिना बाहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा स्थानीय व्यक्ति से भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय कर ली गई और उक्त क्षेत्र में अनुमति प्राप्त किये बिना एवं बिना कब्जा प्राप्त किये ही बेचान दस्तावेज के अनुसार रेस्पो0 संख्या 2 के हक में नामा0 संख्या 322 स्वीकृत कर दिया गया है जो निरस्त किया जावें। उक्त प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 322 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि उक्त द्वितीय अपील अपीलाधीन नामा0 संख्या 322 जो ग्राम पंचायत कानोद के द्वारा दिनांक 20.04.2007 को अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील को स्वीकार किये जाने पर इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अपीलान्ट के द्वारा अपील को स्वीकार करने तथा अपीलाधीन नामा0 को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुखतः यह कथन किया कि है कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 322 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2008 के द्वारा निरस्त करने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से पूर्व न तो सुनवाई का नोटिस दिया और न ही प्रथम अपील में आवश्यक पक्षकार संयोजित किया जिससे वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकी तथा उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी वर्ष 2022 में दिनांक 1.10.2022 को पटवारी हल्का के मौके पर दिनांक 14.6.2022 सीबीआई कोर्ट बाबत स्थगन आदेश लेकर तरमीम करने हेतु आये तब हुई थी। यह कथन मानने योग्य नहीं हो सकते है क्योंकि अपीलार्थीया अपने द्वारा भूमि खरीद की दिनांक से मौके पर कब्जा काश्त होना बता रही है तो ऐसे में वर्ष 2007 में पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी वर्ष 2007 से वर्ष 2021 तक अपील पेश करने के समय तक यानि इतने लम्बे समय तक नहीं होना स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब के प्रत्येक दिवस का हवाला प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में अपीलार्थीया की अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जा सकती है एवं इसी स्तर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीया की यह अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार की जाती है निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर